University of Lucknow | Centennial Celebrations
लखनऊ विश्वविद्यालय | शताब्दी उत्सव

लखनऊ विश्वविद्यालय
लखनऊ 226007 (उ.प्र.) भारत
University of Lucknow
Lucknow-226007(U.P)INDIA

संख्या ....
दिनांक..

सेवा में,

1. समस्त संकायाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष / निदेशक / समन्वयक / प्रभारी / इंचार्ज।
2. समस्त प्राचार्य / प्राचार्या सहयुक्त महाविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ (जनपद–लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई)
लखनऊ विश्वविद्यालय
लखनऊ।

विषयः– स्वतंत्रता दिवस–2025 के अवसर पर "हर घर तिरंगा" अभियान के संबंध में।

महोदय / महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक संलग्न शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा), शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन, प्रयागराज के पत्रांक–1309 / 2025–26, दिनांक 02 अगस्त, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा मुख्य सचिव के निर्देशानुसार वर्ष 2024 की भांति स्वतंत्रता दिवस–2025 के अवसर पर पूरे देश में दिनांक 02 अगस्त से 15 अगस्त 2025 की अवधि में तीन चरणों में **"हर घर तिरंगा"** अभियान 2025 का आयोजन कार्यक्रम / कार्यवाही शासन के संलग्न पत्र में उल्लिखित निर्धारित तिथियों के अनुसार कराये जाने तथा कृत कार्यवाही की आख्या फोटोग्राफ सहित प्रतिदिन शाम 5.00 बजे ई–मेल आई0डी0 पर उपलब्ध कराये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है।

अतः शासन द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में मा0 कुलपति महोदय के आदेश के अनुपालन में अनुरोध है कि विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में वर्ष 2024 की भांति स्वतंत्रता दिवस–2025 के अवसर पर दिनांक 02 अगस्त से 15 अगस्त 2025 की अवधि में तीन चरणों में **"हर घर तिरंगा"** अभियान 2025 का आयोजन निर्धारित तिथियों के अनुसार कराये जाने हेतु निम्नलिखित नोडल अधिकारी नामित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की है :–

क्र0सं0	नाम	मो0 नम्बर	ई0मेल आई0डी0	जनपद
1.	डॉ0 आशुतोष रंजन, असिस्टेण्ट प्रोफेसर, जीव विज्ञान विभाग, ल0वि0	9026332070	ranjan_ashutosh@lkouniv.ac.in	लखनऊ
2.	डॉ0 चन्द्रकांत कुशवाहा, असिस्टेण्ट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग, ल0वि0।	9560240949	kushwaha_ck@lkouniv.ac.in	रायबरेली
3.	डॉ0 सुषमा मिश्रा, असिस्टेण्ट प्रोफेसर, वनस्पति विज्ञान विभाग, ल0वि0	8860502400	mishra_sushma@lkouniv.ac.in	सीतापुर
4.	डॉ0 चन्द्रसेन प्रताप सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, विधि विभाग, ल0वि0।	9455081797	singh_csp@lkouniv.ac.in	लखीमपुर
5.	डॉ0 शालिनी पाठक, पाश्चात इतिहास विभाग, ल0वि0	7897113686	pathak_shalini@lkouniv.ac.in	हरदोई

अतः अनुरोध है कि दिनांक 02 अगस्त से 15 अगस्त 2025 की अवधि में तीन चरणों में **"हर घर तिरंगा"** अभियान 2025 का आयोजन सुनिश्चित करते हुए कार्यक्रम / कार्यवाही की आख्या एवं फोटोग्राफ सहित प्रतिदिन शाम 5.00 बजे तक अपने जिले हेतु नामित नोडल अधिकारी को प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

संलग्नक : यथोपरि।

(डॉ0 भावना मिश्रा)
कुलसचिव

University of Lucknow | Centennial Celebrations
लखनऊ विश्वविद्यालय | शताब्दी उत्सव

लखनऊ विश्वविद्यालय
लखनऊ 226007(उ.प्र.)भारत
University of Lucknow
Lucknow-226007(U.P.)INDIA

संख्या ....
दिनांक..........

संख्या– GA-13811-17   दिनांक– 05/08/25

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव कुलपति, मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. मुख्य सचिव, संस्कृति अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या–276 / 2025 / जी0आई0–24 / चार–2025, दिनांक 01 अगस्त, 2025 के कम में सूचनार्थ।
3. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, ल0वि0।
4. कुलानुशासक, ल0वि0।
5. नोडल अधिकारियों को इस आशय से प्रेषित कि अपने जिले के महाविद्यालयों से समन्वय स्थापित कर उक्त कार्यक्रम की आख्या एवं फोटोग्राफ ई0मेल आई0डी0 dhedegreevikas@gmail.com पर प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करें।
6. इंचार्ज वेबवाइट को इस आशय से प्रेषित कि समस्त को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित करने का कष्ट करें।
7. इंचार्ज, डी.टी.पी. ल0वि0 को इस आशय से प्रेषित कि समस्त महाविद्यालयों (लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली एवं लखीमपुर खीरी) के लिंक पर प्रेषित करने का कष्ट करें।
8. कार्यालय प्रति

कुलसचिव

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा)
शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

अतिमहत्वपूर्ण

सेवा में,

1–कुलसचिव
समस्त राज्य एवं निजी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
2–समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3–प्राचार्य / प्राचार्या समस्त राजकीय / अशासकीय / स्ववित्तपोषित महाविद्यालय उ०प्र०।

पत्रांक डिग्री विकास / 1309 / 2025–26 दिनांक 02.08.2025

विषय: स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर "हर घर तिरंगा" अभियान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्रांक 1999 / सत्तर–3–2025 के साथ संलग्न मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या –276 / 2025 / जी०आई०–24 / चार –2025 दिनांक 01.08.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से यह अवगत कराया गया है कि हर घर तिरंगा अभियान को वर्ष 2022, 2023 और 2024 के दौरान 15 अगस्त को पूरे देश में घरों, कार्यालयों, संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों पर प्रमुखता से तिरंगा फहराकर सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया है। उक्त क्रम में पूरे देश में दिनांक 02 अगस्त से 15 अगस्त 2025 की अवधि में तीन चरणों में "हर घर तिरंगा" अभियान 2025 आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।

उक्त के क्रम में शासन के पत्र दिनांक 02.08.2025 में दिये गये निर्देशानुसार अग्रेतर कार्यक्रम / कार्यवाही शासन के सदर्भित संलग्न पत्र में उल्लिखित निर्धारित तिथियों के अनुसार कराया जाना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही की आख्या फोटोग्राफ सहित प्रतिदिन शाम 6.00 बजे इस कार्यालय के ईमेल dhedegreevikas@gmail.com पर भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। कार्यक्रम की समीक्षा मुख्य सचिव स्तर से होनी है। अतएव व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।

भवदीय

डॉ० (अमित भारद्वाज)
शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा),
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

पृष्ठांकन संख्या डिग्री विकास / 1309–13 / उसी तिथि को

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–निजी सचिव, प्रमुख सचिव / सचिव, उच्च शिक्षा उ०प्र०शासन, लखनऊ के संज्ञानार्थ।
2–विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
3–उपसचिव, उच्च शिक्षा परिषद उ०प्र० लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि अपने स्तर से निजी विश्वविद्यालय को प्रेषित करे।
4–तकनीकी सहायक, उच्च शिक्षा निदेशालय को इस निर्देश के साथ कि वेबसाइट पर अपलोड करें।

डॉ० (अमित भारद्वाज)
शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा),
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

महत्वपूर्ण/समयबद्ध

संख्या- १२२७/सत्तर-3-2025

प्रेषक,

प्रेम कुमार पाण्डेय,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1. **निदेशक,**
उच्च शिक्षा, उ०प्र०,
प्रयागराज।

2. **कुलसचिव,**
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उ0प्र0।

3. **समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी**, उ0प्र0।

4. **विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी**, राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक 02 अगस्त, 2025**

विषय: 'हर तिरंगा कार्यक्रम-2025" के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-276/2025/जी0आई0-24/चार-2025, दिनांक 01.08.2025 (छायाप्रति संलग्न), का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से यह अवगत कराया गया है कि हर घर तिरंगा (HGT) अभियान को वर्ष 2022, 2023 और 2024 के दौरान, 15 अगस्त को पूरे देश में घरों, कार्यालयों, संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों पर प्रमुखता से तिरंगा फहराकर, सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया। उक्त क्रम में पूरे देश में दिनांक 02 अगस्त से 15 अगस्त, 2025 की अवधि में तीन चरणों में 'हर घर तिरंगा अभियान 2025' आयोजित करने का निर्णय लिया है।

2- इस सम्बन्ध में दिनांक 02 अगस्त से 15 अगस्त, 2025 की अवधि में चरणवार व्यापक जन सहभागिता से उक्त संदर्भित पत्र के निर्देशानुसार व्यापक जनसहभागिता से 'हर घर तिरंगा' कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये हैं :-

1- प्रथम चरण-(दिनांक 02-08 अगस्त, 2025) -

i. स्कूलों की दीवारों और बोर्डों को तिरंगा से प्रेरित कला से सजाना।

ii. संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई प्रदर्शनियाँ (वेबसाइट www.harghartiranga.com से डाउनलोड कर उपलब्ध) का प्रदर्शन मुख्य कार्यक्रमों के दौरान एवं शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी भवनों आदि चिन्हित स्थानों पर किया जाना।

iii. स्कूलों, कॉलेजों, सार्वजनिक स्थानों आदि पर तिरंगा रंगोली प्रतियोगिताओं का आयोजन।

iv. तिरंगा राखी बनाने की कार्यशालाएँ और प्रतियोगिताएँ आयोजित करना तथा सैनिकों और पुलिसकर्मियों को 'आभार पत्र' लिखकर 'डाक विभाग के समन्वय से राखियाँ भेजना।

v. सार्वजनिक स्थानों/बाज़ारों को तिरंग रंगों को प्रदर्शित करने के लिए तिरंगे धागों युक्त 'तिरंगा बुनाई और धागे की गतिविधि का आयोजन करना।

II-द्वितीय चरण (दिनांक 09 से 12 अगस्त 2025)

i- वृहद आयोजन -

(1) द्वितीय चरण में तिरंगा महोत्सव' के रूप में एक बडा आयोजन किया जाएगा, जिसमें एक ही दिन वृहद 'तिरंगा मेला' और 'भव्य तिरंगा म्यूज़िकल कॉंसर्ट' आयोजित किया जाना।

(2) प्रदेश स्तरीय 'तिरंगा महोत्सव' का आयोजन किसी 'प्रमुख स्थल' पर व्यापक जनभागीदारी के साथ किया जाए। कार्यक्रम का नेतृत्व माननीय राज्यपाल जी/माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। इस कार्यक्रम में स्थानीय माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण और अन्य विशिष्ट व्यक्तियों एवं खिलाडियों की उपस्थिति भी सुनिश्चित की जाएगी।

(3) 'तिरंगा महोत्सव' आयोजित किए जाने वाले प्रमुख स्थल पर 'तिरंगा मेला' का भी आयोजन किया जाएगा जिसमें प्रदेश सरकार के 'ग्रामीण विकास विभाग के 'स्वयं सहायता समूह' द्वारा निर्मित उत्पाद तथा 'सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के सहयोग से निर्मित उत्पादों 'स्थानीय उत्पादों' (ODOP), तिरंगा रंग की थीम वाली वस्तुओं (खाद्य सामग्री / परिधान / वस्त्र / श्रृंगार सामग्री आदि) की बिक्री पर केन्द्रित तिरंगा मेला (सरस मेले के समान) का आयोजन किया जाना।

(4) 'तिरंगा मेला' में 'तिरंगा प्रदर्शनी' का प्रदर्शन भी किया जाना।

(5) वेबसाइट www.harghartiranga.com पर सेल्फी अपलोड करने के लिए 'HGT सेल्फी बूथों' को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना और उचित ब्रांडिंग के साथ सुविधा प्रदान करना।

(6) वीआईपी कार्यक्रम के दिन, व्यापक जनभागीदारी के साथ, प्रसिद्ध और स्थानीय कलाकारों द्वारा देशभक्तिपूर्ण सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ भव्य 'तिरंगा संगीत कार्यक्रम 'का आयोजन किया जाना।

ii-प्रदेश के गृह विभाग/पुलिसकर्मियों, अर्धसैनिकबलों, एन०सी० सी०, एन०एस०एस०, सिविल डिफेन्स, होमगार्ड्स एवं खेल विभाग आदि के सहयोग से 'तिरंगा बाइक रैली और/या तिरंगा साइकिल रैली' का आयोजन किया जाना।

iii - तिरंगा रैलियों/यात्राएँ: वृहद तिरंगे कपड़े के साथ तिरंगा रैलियों यात्राओं का आयोजन किया जाना। ये आयोजन सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों ब्लॉकों और पंचायतों में आयोजित किए जाएँगे जिनमें स्कूली बच्चों, युवाओं और समाज के सभी वर्गों के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो। इस हेतु रिकॉर्ड बनाने के प्रयास किए जाएं।

iv - तिरंगा और उससे सम्बन्धित वस्तुओं आदि की बिक्री को व्यापक रूप से प्रोत्साहित करते हुए स्थानीय बाज़ारों में सौंदर्यपरक तिरंगा प्रकाश और सजावट किया जाना।

v- प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों, पी०डी०एस० दुकानों, खादी भंडारों और स्थानीय बाज़ार के वस्त्वालों आदि के माध्यम से तिरंगा की बिक्री और वितरण का प्रबंधन किया जाना।

vi- सूचना विभाग के माध्यम से समस्त विभिन्न प्रकार के माध्यमों से प्रचार-प्रसार की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

III - तृतीय चरण (दिनांक 13-15 अगस्त, 2025)

दिनांक 13 से 15 अगस्त 2025 के मध्य सभी शासकीय भवनों, शैक्षणिक संस्थानों, होटलों, कार्यालयों, बाँधों, पुलों आदि पर ध्वजारोहण समारोह और तिरंगा प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। नागरिकगण को तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर उसे वेबसाइट www.harghartiranga.com पर अपलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(प्रेम कुमार पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तैदव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) निजी सचिव, मा0 मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0।
(2) निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0।
(3) कुलपति, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0।
(4) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
(5) निजी सचिव, सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
(6) निजी सचिव, समस्त विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
(7) समस्त संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,

(प्रेम कुमार पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

I/1045227/2025 संस्कृति अनुभाग-1-Department of Culture

1222 / 2025

संख्या-276 /2025/ जी0आई0-24/चार-2025

प्रेषक,

एस.पी. गोयल
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

संस्कृति अनुभाग

लखनऊ: दिनांक 01 अगस्त, 2025

विषयः 'हर घर तिरंगा' कार्यक्रम-2025।

महोदय/महोदया,

संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या डीओ-42-22/119/2022-AKAM(PL.II) दिनांक 25 जुलाई, 2025 में उल्लेख किया गया है कि भारत सरकार ने "आज़ादी का अमृत महोत्सव" के तत्वावधान में 2022 में हर घर तिरंगा (HGT) अभियान शुरू किया था। इस अभियान का उद्देश्य नागरिकों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और तिरंगे के साथ व्यक्तिगत और भावनात्मक सम्बन्ध बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। पिछले कुछ वर्षों में, यह राष्ट्रीय अस्मिता, देशभक्ति और गौरव के जन-भागीदारी आंदोलन के रूप में एक सफल अभियान बन चुका है।

2. इस हर घर तिरंगा (HGT) अभियान को वर्ष 2022, 2023 और 2024 के दौरान, 15 अगस्त को पूरे देश में घरों, कार्यालयों, संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों पर प्रमुखता से तिरंगा फहराकर, सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया। तिरंगे के साथ सैल्फी, प्रभात फेरी, तिरंगा रैलियाँ (बाइक और साइकिल रैलियाँ सहित), तिरंगा प्रदर्शनियाँ, और अन्य जमीनी स्तर की जन-भागीदारी जैसी गतिविधियों ने 'स्वतन्त्रता दिवस समारोह' को देशभक्ति से भरपूर और देश भर में व्यापक रूप से मनाया जाने वाला उत्सव बना दिया है। यह अभियान जनता के लिए उन स्वतन्त्रता सेनानियों और सैनिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने का एक विशेष अवसर भी है, जिन्होंने राष्ट्र की सेवा और तिरंगे के सम्मान में अपने प्राणों की आहुति दी है।

3. इसी भावना को जारी रखते हुए संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार (राष्ट्रीय कार्यान्वयन समिति द्वारा 24 जुलाई, 2025 को अनुमोदित) के सर्कुलर के अनुसार क्रियान्वित किए जाने हेतु पूरे देश में दिनांक 02 अगस्त से 15 अगस्त 2025 की अवधि में तीन चरणों में 'हर घर तिरंगा अभियान 2025' आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह चरण निम्नानुसार हैं:-

(1) प्रथम चरण – दिनांक 02 अगस्त से दिनांक 08 अगस्त 2025 तक।

पी0आर0सिंह
02.08.2025

(2) द्वितीय चरण - दिनांक 09 अगस्त से दिनांक 12 अगस्त 2025 तक ।

(3) तृतीय चरण - दिनांक 13 अगस्त से दिनांक 15 अगस्त 2025 तक ।

4. उपर्युक्त अवधियों में हर घर तिरंगा (HGT) 2025 के अन्तर्गत चरण वार सम्पादित की जाने वाली गतिविधियों का विवरण निम्नवत है-

I- प्रथम चरण – (दिनांक 02 – 08 अगस्त 2025) -

i. स्कूलों की दीवारों और बोर्डों को तिरंगा से प्रेरित कला से सजाना

ii. संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई प्रदर्शनियाँ (वेबसाइट www.harghartiranga.com से डाउनलोड कर उपलब्ध) का प्रदर्शन मुख्य कार्यक्रमों के दौरान एवं शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी भवनों आदि चिन्हित स्थानों पर किया जाना।

iii. स्कूलों, कॉलेजों, सार्वजनिक स्थानों आदि पर तिरंगा रंगोली प्रतियोगिताओं का आयोजन।

iv. तिरंगा राखी बनाने की कार्यशालाएँ और प्रतियोगिताएँ आयोजित करना तथा सैनिकों और पुलिसकर्मियों को 'आभार पत्र' लिखकर 'डाक विभाग' के समन्वय से राखियाँ भेजना ।

v. सार्वजनिक स्थानों/बाजारों को तिरंगा रंगों को प्रदर्शित करने के लिए तिरंगे धागों युक्त 'तिरंगा बुनाई और धागे' की गतिविधि का आयोजन करना।

II-द्वितीय चरण – (दिनांक 09 से 12 अगस्त 2025)

I - वृहद आयोजन –

(1) द्वितीय चरण में तिरंगा महोत्सव' के रूप में एक बड़ा आयोजन किया जाएगा, जिसमें एक ही दिन वृहद 'तिरंगा मेला' और 'भव्य तिरंगा म्यूज़िकल कॉन्सर्ट' आयोजित किया जाना।

(2) प्रदेश स्तरीय 'तिरंगा महोत्सव' का आयोजन किसी 'प्रमुख स्थल' पर व्यापक जनभागीदारी के साथ किया जाए। कार्यक्रम का नेतृत्व माननीय राज्यपाल जी/माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। इस कार्यक्रम में स्थानीय माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण और अन्य विशिष्ट व्यक्तियों एवं खिलाड़ियों की उपस्थिति भी सुनिश्चित की जाएगी।

(3) 'तिरंगा महोत्सव' आयोजित किए जाने वाले प्रमुख स्थल पर 'तिरंगा मेला' का भी आयोजन किया जाएगा जिसमें प्रदेश सरकार के 'ग्रामीण विकास विभाग के 'स्वयं सहायता समूह' द्वारा निर्मित उत्पाद तथा 'सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के सहयोग से निर्मित उत्पादों 'स्थानीय उत्पादों'(ODOP), तिरंगा रंग की थीम वाली वस्तुओं (खाद्य सामग्री /परिधान /वस्त्र /श्रृंगार सामग्री आदि) की बिक्री पर केन्द्रित तिरंगा मेला (सरस मेले के समान) का आयोजन किया जाना।

(4) 'तिरंगा मेला' में 'तिरंगा प्रदर्शनी' का प्रदर्शन भी किया जाना।

(5) वेबसाइट www.harghartiranga.com पर सेल्फी अपलोड करने के लिए 'HGT सेल्फी बूथों' को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना और उचित ब्रांडिंग के

साथ सुविधा प्रदान करना।

(6) पीआईपी कार्यक्रम के दिन, व्यापक जनभागीदारी के साथ, प्रसिद्ध और स्थानीय कलाकारों द्वारा देशभक्तिपूर्ण सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ भव्य 'तिरंगा संगीत कार्यक्रम 'का आयोजन किया जाना।

ii- प्रदेश के गृह विभाग /पुलिसकर्मियों, अर्धसैनिकबलों, एन0सी0 सी0, एन0एस0एस0, सिविल डिफेन्स, होमगार्ड्स एवं खेल विभाग आदि के सहयोग से 'तिरंगा बाइक रैली और/या तिरंगा साइकिल रैली' का आयोजन किया जाना।

iii - तिरंगा रैलियाँ/यात्राएँ: वृहद तिरंगे कपड़े के साथ तिरंगा रैलियाँ /यात्राओं का आयोजन किया जाना। ये आयोजन सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों ब्लॉकों और पंचायतों में आयोजित किए जाएँगे जिनमें स्कूली बच्चों, युवाओं और समाज के सभी वर्गों के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो। इस हेतु रिकॉर्ड बनाने के प्रयास किए जाएं।

iv - तिरंगा और उससे सम्बन्धित वस्तुओं आदि की बिक्री को व्यापक रूप से प्रोत्साहित करते हुए स्थानीय बाज़ारों में सौंदर्यपरक तिरंगा प्रकाश और सजावट किया जाना।

v- प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों, पी0डी0एस0 दुकानों, खादी भंडारों और स्थानीय बाज़ार के वस्त्रालयों आदि के माध्यम से तिरंगा की बिक्री और वितरण का प्रबंधन किया जाना।

vi- सूचना विभाग के माध्यम से समस्त विभिन्न प्रकार के माध्यमों से प्रचार-प्रसार की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

III - तृतीय चरण (दिनांक 13-15 अगस्त 2025)

दिनांक 13 से 15 अगस्त 2025 के मध्य सभी शासकीय भवनों, शैक्षणिक संस्थानों, होटलों, कार्यालयों, बाँधों, पुलों आदि पर ध्वजारोहण समारोह और तिरंगा प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। नागरिकगण को तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर उसे वेबसाइट www.harghartiranga.com पर अपलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए ।

5. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त निर्देशानुसार व्यापक जनसहभागिता से 'हर घर तिरंगा' कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,

Digitally signed by
SHASHI PRAKASH GOYAL
Date:01-08-2025
18:48:09

(एस.पी. गोयल)
मुख्य सचिव।

संख्या-276/2025/ जी0आई0-24 /चार-2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- सचिव, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उनके अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 25 जुलाई, 2025 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

2. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

4. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

5. निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उत्तर प्रदेश।

6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

Digitally signed by
MUKESH KUMAR MESHRAM
Date: 01-08-2025 19:19:26

(मुकेश कुमार मेश्राम)

प्रमुख सचिव

संलग्नक-

झण्डा फहराने के नियम

1- प्रत्येक नागरिक को अपने आवास/स्कूल तथा सरकारी कार्यालयों में झण्डा सम्मान के साथ झण्डा संहिता का अनुपालन करते हुए फहराना/ लगाना है।

2- झण्डा फहराते समय सदैव केसरिया रंग की पट्टी झण्डे के ऊपर की तरफ होनी चाहिए।

3- झण्डे को यदि सरकारी अवसर पर फहराया जाता है तो सूर्योदय के उपरान्त ध्वजारोहण किया जाना चाहिये तथा सूर्यास्त के साथ सम्मान के साथ उतारना चाहिए।

4- दिनांक 11 से 17 अगस्त, 2022 तक निजी आवासों एवं प्रतिष्ठानों पर लगाये जाने वाले झण्डों को उसके बाद आदर भाव के साथ उतार कर रखा जाये।

5- झण्डा उतारने के बाद किसी के भी द्वारा फेंका नहीं जायेगा उसे सम्मान के साथ फोल्ड करके रखा जाना चाहिए।

6- विशेष परिस्थितियों में झण्डा रात्रि में फहराया जा सकता है।

7- किसी के घर पर झण्डा विधिवत् तरीके पर लगाया जाना चाहिए। आधा झुका, फटा या कटा झण्डा लगाया जाना निषेध होगा।

संलग्नक-

झण्डा तैयार करने हेतु निर्देश

1-झण्डे का आकार आयताकार होना चाहिए।

2- इसकी लम्बाई एवं चैड़ाई का अनुपात 3:2 होना चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि झण्डे की लम्बाई 3 फीट हो तो चैड़ाई 2 फीट होनी चाहिए।

3- झण्डा बनाने की सामग्री खादी अथवा हाथ से कता हुआ कपड़ा, मशीन से बना हुआ कपड़ा/सूती/पॉलीस्टर/ऊनी/सिल्क आदि से बना होना चाहिए।

4- झण्डे में तीन रंगों केसरिया, सफेद तथा हरे रंग का प्रयोग किया जाना चाहिये।

5- सफेद पट्टी में 24 तीलियों वाले अशोक चक्र को बाद में प्रिन्ट किया जाना चाहिए।